संख्याः 554 /XI/18/56(20)2017

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 14 मार्च, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना की विषेश परियोजना " ग्रामीण क्षेत्रों के बी0पी0एल0 युवाओं के कौशल विकास" हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी के पत्र 2818/दिनांक 16 मार्च, 2016, भारत सरकार के आदेश सं0 J-17037/06/2010-SGSY-II(SP) दिनांक 23.05.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेष परियोजना " ग्रामीण क्षेत्रों के बी0पी0एल0 युवाओं के कौशल विकास"** के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश (90%) **कुल रू0 82.93699** लाख सापेक्ष निर्धारित राज्यांश (10%) की कुल धनराशि रू0 **9.21522** लाख **(रू0 नौ लाख इक्कीस हजार पांच सौ बाईस मात्र)** की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि से स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन उपायुक्त (कार्यक्रम) द्वारा एवं व्यय सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रांश के आवंटन से सम्बन्धित स्वीकृति आदेश के उपरान्त धनराशि की पुष्टि होने पर ही किया जायेगा।
2. राज्यांश की धनराशि आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं सम्बन्धित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा में योजना की गाइड लाइन के अनुसार किये जाने का दायित्व आपका होगा।
3. प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी, जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. प्रश्नगत योजना में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से केन्द्रांश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यांश की अवशेष देयता हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।
5. उक्त योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेंट रूल्स–2017 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानकों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी होने वाले दिशा–निर्देशों तथा मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का परिपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे विकास कार्यों पर ही किया जाय।

9. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी०एम०–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10 निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनांक 31.03.2018 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के राजस्व मद के अधीन **अनुदान संख्या–19** के लेखाशीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–003–प्रशिक्षण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–**दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना**–42 अन्य व्यय मद से कुल रू0 **9.21522 लाख** वहन किया जायेगा एवं उक्त मदों की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII–1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर दिनांक से जेनरेट कर एवं वित्त विभाग के अशासकीय सं0 151/वित्त–4/2018 दिनांकः 24.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XI/18/56(20)2017, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, विकास भवन, देहरादून।
4. अनु सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - **20172018**

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 554 **XI/18/56(20)2017**

अलोटमेंट आई डी - **S1803190142**

अनुदान संख्या - **019**

आवंटन पत्र दिनांक -12-Mar-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: **लेखा शीर्षक** 2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम — 01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

003 - प्रशिक्षण

02 -

00 -

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	1084861	921522	2006383
	1084861	**921522**	**2006383**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 921522